न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 23 / 2021 **दायरा दिनांक : 23.02.2021**

उनवान

हरनारायण आत्मज श्री दुलीचन्द, जाति अहीर, निवासी रणवासी, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री बालमुकुन्द महाजन, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 80 / 2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चारपुरा पटवार हल्का खांखरा, तहसील किशनगंज जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 3 बीघा 8 बिस्व, खसरा नम्बर 27 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल 4 किता की कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। विवादग्रस्त आराजियात वादी द्वारा प्रतिवादी के पिता बालमुकुन्द पुत्र रामनाथ, जाति महाजन से क्रय की हुई है। तब से ही वादी वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के उत्तर की ओर प्रतिवादी की कृषि भूमि है। अपीलांट वादी द्वारा विवादित आराजी को काफी श्रम व पैसा खर्च कर काबिज काश्त बनाया है तथा खसरा नम्बर 28 में वादी द्वारा सिंचाई करने हेतु ट्यूबवेल लगवाया हुआ है। दिनांक 23.06.2015 को वादी प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि की पैमाईश करवा कर वादी की कृषि भूमि को अपनी कृषि भूमि बताकर कब्जा करने पर आमादा है, जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी जबरन ताकत के बल पर तथा प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की मंशा रखता है तथा वादी को अपने खातेदार हकूकों की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी सरेआम धमकी दे रहा है कि वह विवादित आराजी की उत्तरी सीमा पर जबरन कब्जा करके रहेगा। वादी द्वारा खसरा नम्बर 28 में ट्यूबवेल भी करवा रखा है जिससे वादी की आराजीयात की सिंचाई होती है। यदि प्रतिवादी को पैमाईश ही करवानी थी तो स्वयं के खाते की करवानी चाहिए थी, वादी को नुकसान न करने की गरज से जबरन वादी की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादी का काउंटर

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्लेम स्वीकार कर वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि प्रतिवादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 17 एवं 17/9 के दक्षिणी मेढ, पानी धोरा, झांडों की बाड को मिटाकर पत्थर कोट न करें, न वर्तमान मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करें, न तो ऐसा स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम बिना तनकी कायम किये तथा बिना किसी आधार के स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 के आधार पर काउंटर क्लेम स्वीकार करने में त्रुटि की है जबकि पैमाईश रिपोर्ट व सीमाज्ञान में वर्णित नहीं है कि ट्यूबवेल किस खसरा नम्बर की भूमि पर बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज किया है कि बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री नहीं दी जा सकती है, जबकि रेस्पोडेंट स्वयं अपने बयानों में स्वीकार कर रहा है कि वादी ने ट्यूबवेल तक रेस्पोडेंट वादी अपीलांट का कब्जा स्वीकार करता है जिससे बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम निरस्त की जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट ग्रामीण कृषक है तथा कानून की जानकारी नहीं है इसी प्रकार अपीलांट के अभिभाषक भी ग्रामीण परिवेश के हैं जिनके द्वारा दो अपील के स्थान पर एक अपील पेश कर कानूनी गलती की है, अपीलांट द्वारा कोटा के अभिभाषक को बताने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

श्रीमती अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी विवादित भूमि खसरा नम्बर 25, 26, 27, 28 वाके ग्राम चारपुरा, तहसील किशनगंज थी जो वादी की खातेदार व कब्जे काश्त की आराजी है, उस पर व्यवधान पैदा न करें और वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। वादी अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि प्रतिवादी के पिता श्री बालमुकुन्द आत्मज रामनाथ से ही जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी और उक्त भूमि पर तभी से अपीलांट काबिज काश्त है और प्रतिवादी द्वारा मौके पर अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने व लड़ाई–झगडा करने पर उतारू होने पर वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 28 के उत्तर ओर व प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 17 व 17/9 की दक्षिणी मेड के मध्य ट्यूबवेल स्थित है, जो प्रतिवादी की भूमि पर है, जिसका विवाद है और अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 28 के उत्तरी व खसरा नम्बर 17 व 17/9 के दक्षिणी मेड पर पुराना धोरा था, इस ट्यूबवेल अपीलांट द्वारा खुदवा लिया है जो प्रतिवादी की भूमि पर स्थित है। प्रतिवादी द्वारा उक्त आशय का काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना की कि वादी प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 17 व 17/9 के दक्षिणी मेड पर स्थित पुराने धोरे को भरकर पत्थर का कोट (बाउण्ड्री) न करें। वादी के वाद व प्रतिवादी के जवाब काउंटर क्लेम के आधार पर दोनों पक्षों के बयान लिये और दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद खारिज कर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर वादी को पाबन्द किया कि प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 17 व 17/9 के दक्षिणी मेड का पानी का धोरा व झाडों की बाड को मिटाकर पत्थर का कोट न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2015 व 15.06.2016 के अनुसार प्रतिवादी का कब्जा मानते हुए अपीलांट को पाबन्द किया है जबकि माननीय न्यायालय दिनांक 30.06.2015 की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करें तो उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ट्यूबवेल कौनसे खसरा नम्बर पर स्थित है, जबकि प्रतिवादी ट्यूबवेल को वादी का ही मानता है इसलिए बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2016 की मौका रिपोर्ट का हवाला दिया है, दिनांक 15.06.2016 की रिपोर्ट में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कब्जा हो। इस कारण बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता। विवादित ट्यूबवेल की भूमि वादी अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि खसरा नम्बर 25, 26, 27, 28 वादी अपीलांट की खातेदारी की भूमि है और उक्त पर अपीलांट काश्त कर रहा है इस कारण से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 612, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 85 पेश की ।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने फर्द दस्तावेज आर्डर शीट एवं अपील मीमो राजस्व मण्डल अजमेर, अपील संख्या बारां/अपील /डिक्री/टी.ए. संख्या 1304/2021 बउनवान हरनारायण बनाम राजेन्द्र कुमार की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने फर्द दस्तावेज आर्डर शीट एवं अपील मीमो राजस्व मण्डल अजमेर, अपील संख्या बारां/अपील/डिक्री /टी. ए.संख्या 1304/2021 बउनवान हरनारायण बनाम राजेन्द्र कुमार की प्रमाणित प्रति पेश की जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के प्रकरण संख्या 80/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 में न्यायालय हाजा के अपील संख्या 39/2019 बउनवान हरनारायण पुत्र दुली चन्द जाति अहीर, निवासी रणवासी, तहसील किशनगंज, जिला बारां बनाम राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति महाजन, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां में निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 के द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सारहीन प्रतीत होते हैं क्योंकि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में अपील संख्या 39/2019 पेश की जा चुकी है जिस पर निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है एवं मेरिट पर भी यह अपील खारिज होने योग्य है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 39/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में पुनः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

हरनारायण आत्मज श्री दुलीचन्द, जाति अहीर, निवासी रणवासी, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री बालमुकुन्द महाजन, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 23/2021 एवं
मु.द.नं0 80/2015

नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज
निर्णय व डिक्री दिनांक – 17.01.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 10 सन् 2022

हाजरी **श्री धीरेन्द्र मालव** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री घनश्याम गर्ग** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से उपस्थित

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 07 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)